# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

## -:कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 142 वीं बैठक दिनांक 26.11.2009 को प्रातः 10.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरणं, एजेण्डा संख्या 1 से 5 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तैयार किया गया है जिसका कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार है :–

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन व एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री शफी मोहम्मद कुरेशी अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन –5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीम्स) जविप्रा, जयपुर।

..........................................................................................................

**<u>एजेण्डा विवरण:–</u>**

**<u>एजेण्डा आइटम सं:–1</u>**

विषय:– बीपीसी (ले आउट प्लान) की 141 वीं बैठक दिनांक 12.11.2009 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

**<u>एजेण्डा आइटम सं:–2</u> (जोन–4)**

विषय:– शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम वाटिका के भूखण्ड संख्या 43, 44, 45 व 46 को नोट अप्रूव्ड से मुक्त कर इन भूखण्डों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने उपायुक्त जोन की मौके की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त चारों

भूखण्डों पर फैक्ट्री बन्द कर दी है। टीनशैड व निर्माण हटा दिए है। मौंके पर भूखण्ड खाली है तथा चार दिवारी बनी हुई है इन भूखण्डों के पीछे 20′ से 25′ दूरी पर नाला है जो पक्का बना हुआ है।

समिति ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्णय लिया कि नाले व भूखण्डों के पीछे 25′ भूमि छोडते हुए भूखण्ड संख्या 43, 44, 45, 46 को स्वीकृत किया जावे। 25′ चौडी भूमि पर हरियाली विकसित किया जावे।

**<u>एजेण्डा आइटम सं:– 3</u> (जोन–4)**

विषयः– शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर विहार ए, बी, सी ब्लॉक एयर डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 100′ सडक के आंशिक भाग पर 60′–0″ चौडी सडक के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों की राय थी कि डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावति 100′–0″ चौडी सडक को कम नहीं किया जावे।

अतः समिति ने निर्णय लिया कि शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर विहार के ए, बी, सी में एयरपार्ट डवलपमेंट प्लान में 100′–0″ चौडी सडक प्रस्तावित है इसलिए इस सडक की चोडाई कम नहीं की जावे।

**<u>एजेण्डा आइटम सं:–4</u> (जोन–5)**

विषयः– प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नम्बर 8 सी भूखण्ड संख्या 39 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। विचार विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों को उपायुक्त जोन ने अवगत कराया कि इस योजना को आवासीय क्षेत्रफल 67.40 प्रतिशत पर अनुमोदित किया गया था। भूखण्ड संख्या 39 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने पर आवासीय क्षेत्रफल 68.17 प्रतिशत होता है। प्रार्थी मूल आवंटी है, इस भूखण्ड पर सुविधा क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है तथा प्रार्थी मौके पर इस भूखण्ड पर आवासीय उपयोग कर रहा है।

विचार विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने की अनुशंषा कर राज्य सरकार से स्वीकृति लिए जाने हेतु प्रकरण को भिजवाया जावे।

**<u>एजेण्डा आइटम सं:–5</u> (जोन–7)**

विषयः– ऑफीसर्स कैम्पस विस्तार योजना मानचित्र मौके की स्थिति के अनुसार पुनः अनुमोदन किए जाने के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श के दौरान सदस्यों ने अवगत कराया कि इस योजना को वर्ष 2002 में स्वीकृत किया जा चुका है तथा इस योजना का कैम्प स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार आयोजित किया जा चुका है। जिसमें करीब 135 पट्‌टे भी जारी हो चुके हैं। इसलिए यदि मौके की स्थिति के अनुसार योजना मानचित्र को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया

जाता है तो पूर्व में जारी 135 पट्टों को भी संशोधित करवाया जाना होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 5(3)नविवि/3/99 दिनांक 20.08.2009 के आदेश इस दिनांक के बाद नियमन होने वाली योजनाओं के संबंध में है। इसलिए इस स्वीकृत योजना में सडकों की चौडाई कम नहीं करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

30/11/09

**सदस्य सचिव,**
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :– जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2009/डी– 459
दिनांक :– 30/11/09
प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम )/(एलपीसी )/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी.) जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन ................. जविप्रा, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

30/11/09

**सदस्य सचिव,**
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर